प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 17.11.2026

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 267/26 धारा 69,352 बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 267/26 धारा 69,352 बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वंश पुत्र कुश निवासी ग्राम पट्टी धनधान थाना छपरौली जनपद बागपत उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- म0उ0नि0 रविन्द्री थाना छपरौली जनपद बागपत।

2- उ0नि0 जगवीर सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।

3- का0 597 प्रेमपाल थाना छपरौली जनपद बागपत।

4- रि0का0 107 अमन कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना रमाला साइबर टीम , जनपद बागपत

नवम्बर- 2026

थाना रमाला साइबर टीम, जनपद बागपत के द्वारा माह नवम्बर-2026 में आवेदक/पीडित से ऑनलाइन धोखाधडी की धनराशि कुल – 3,000/- रूपये वापस कराये गये–



आवेदक/पीडित श्री रोमिश पुत्र महेशपाल निवासी इब्राहिमपुर माजरा थाना रमाला जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन 3,000 रुपये की धोखाधडी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP पोर्टल पर दर्ज करायी, जिसका ACK. N0- 33106250066545 है, शिकायत प्राप्त होने पर थाना रमाला साइबर टीम द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी। पीडित के बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधडी की धनराशि में से 3,000 रुपये को वापस कराया गया।

आवेदक/पीडित को रुपये वापस मिलने पर थाना रमाला पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	नाम थाना	प्रा0पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	रमाला	33106250066545	3,000 रुपये

आवेदक/पीडित को रुपये वापस कराने वाली टीमः-

1-उ0नि0 श्री सूरज सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-रि0का0 493 धीरेन्द्र इंदौलिया थाना रमाला जनपद बागपत।

3- म0का0 03 कविता

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा दिनाँक 17.11.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाना के मु0अ0सं0 304/2026 धारा 109(1), 3(5) बी एन एस व 3/25/27 आयुध अधिनियम में वाछिंत 25000 रुपये के इनामिया वांछित 01 अभियुक्त फिरोज को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बरामद।



संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.08.26 को थाना खेकडा पुलिस के साथ अभियुक्तों की मुठभेड हुई थी जिसमें 01 अभियुक्त रिजवान पुत्र जानेआलम नि0 कमालपुर थाना पिलखुआ जनपद हापुड को घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया था, घटना में तीन अभियुक्त मौके से फरार हो गये थे जिसमें अभियुक्त फिरोज पुत्र इम्तियाज उर्फ बाबू भी सामिल था, अभियुक्त फिरोज की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित / इनामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 304/2026 धारा 109(1), 3(5) बी एन एस व 3/25/27 आयुध अधिनियम में वाछिंत / 25000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है अभियुक्त की निशांदेही पर पुलिस मुठभेड की घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता-

1.फिरोज पुत्र इम्तियाज उर्फ बाबू निवासी गाँव फारूखनगर मौहल्ला हाथी वाला थाना टीलामोड़ जिला गाजियाबाद

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 304/26 धारा 109(1),3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट (पु0मु0) थाना खेकड़ा, बागपत

2.मु0अ0सं0 647/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी हापुड

3.मु0अ0सं0 658/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी हापुड

4.मु0अ0सं0 713/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत

5.मु0अ0सं0 731/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत

6.मु0अ0सं0 767/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत

7.मु0अ0सं0 786/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत

8.मु0अ0सं0 789/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी बागपत

9. मु0अ0सं0 93/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत

10.मु0अ0सं0 1351/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी गाजियाबाद

11. मु0अ0सं0 1417/26 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एपीटी गाजियाबाद

12.मु0अ0सं0 637/22 धारा 60,62 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना टीलामोड गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण -

- 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री विकास कुमार गुर्जर थाना खेकडा बागपत

2.है0का0 938 मनीष कुमार थाना खेकडा बागपत

3. है0का0 611 सतीश कपासिया थाना खेकडा बागपत

प्रेसनोट जनपद बागपत दिनांक 17-11-2026

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में पिछले 24 घंटे के दौरान इनामी,वांछित/चोरों एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए गए अभियान के अंतर्गत बागपत पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही निम्नवत् है-

इनामी वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी(कुल 01 अभियुक्त)-

थाना खेकडा पुलिस ने थाना के मु0अ0सं0 304/2026 धारा 109(1), 3(5) बी एन एस व 3/25/27 आयुध अधिनियम में वाछिंत 25000 रुपये के इनामिया वांछित 01 अभियुक्त फिरोज को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बरामद।

वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी (कुल 01 अभियुक्त)-

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 267/26 धारा 69,352 बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

साइबर ठगी के रूपये वापस कराये गये-

थाना रमाला साइबर टीम, जनपद बागपत के द्वारा माह नवम्बर-2026 में आवेदक/पीडित से ऑनलाइन धोखाधडी की धनराशि कुल – 3,000/- रूपये वापस कराये गये।

धारा 170 बीएनएसएस की कार्यवाही-(कुल 18 व्यक्ति)

1-थाना कोतवाली बागपत से 06 व्यक्ति ।
2-थाना सिंघावली अहीर से 01 व्यक्ति ।
3-थाना बिनौली से 01 व्यक्ति ।
4-थाना खेकड़ा से 01 व्यक्ति ।
5- थाना चांदीनगर से 03 व्यक्ति ।
6-थाना दोघट से 02 व्यक्ति ।
7-थाना छपरौली से 04 व्यक्ति ।